भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4

02 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: ऋणेतर सहकारी समतियों संबंधी राज्य-वार आंकड़े

4. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में प्रचलित ऋणेतर सहकारी समितियों से संबंधित आंकड़ों के अनुरक्षण हेतु कोई प्रभावी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में ऋणेतर सहकारी समितियों को वर्गीकृत करने और उनके बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसी समितियों को मामले विशेष के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई सम्भावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): वर्तमान में सरकार के पास सहकारी समितियों, उनकी गतिविधियों, उनके सदस्यों, उनके वित्तीय विवरण आदि के बारे में कोई अद्यतन प्रमाणित डेटा कोष उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सरकार सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए कार्यरत है। सहकारी समितियों का यह राष्ट्रीय डेटाबेस राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संघों, व नाबार्ड जैसे संस्थानों के लिए मुख्य नियोजन साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

(घ): वर्तमान में, सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन व विकास हेतु केवल एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। तथापि, नए मंत्रालय का गठन होने से वित्तीय वर्ष 2022-23 से कई नई योजनाओं की शुरूआत होना परिकल्पित है।

******